



F-07-08

F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
**MARATHAHALLI COLONY P.O.**  
**BENGALURU - 560 037.**

**वर्ग अनुमोदन सं. 1612 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment Cum Renewal of Type Approval No. 1612**

**विषय / Sub: ट्रांजिएन्ट सप्रेसर यूनिट (टीएसयू), पार्ट सं. टूएसयू-01**  
**Transient Suppressor Unit (TSU), Part No.: TSU – 01**

यह घोषित किया जाता है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए), बेंगलूरु – 560 017 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा मेसर्स कोम्पुपावर (पी) लिमिटेड, बंजारा हिल्स, हैदराबाद - 500 034 द्वारा उत्पादित " ट्रांजिएन्ट सप्रेसर यूनिट (टीएसयू)", पार्ट सं. टूएसयू-01 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1612, दिनांक 27 दिसंबर 2010, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1612 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2015 तक था।

*This is to state that the "Transient Suppressor Unit (TSU)" bearing the Part No. TSU – 01, designed, developed by Aeronautical Development Agency (ADA), Bengaluru - 560 017 and manufactured by M/s. Compupower (P) Limited, Banjara Hills Hyderabad – 500 034 was issued with Type Approval No.: 1612 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1612, Dated: 27<sup>th</sup> December 2010, with validity up to 31<sup>st</sup> December 2015.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अगस्त 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), सेमिलैक, बेंगलूरु – 560 037, से अनुरोध करना होगा।

*This is to Certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> August 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30<sup>th</sup> June 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Bengaluru - 560 037 Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1612, दिनांक 27 दिसंबर 2010 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद 4 में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para four of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1612, Dated: 27<sup>th</sup> December 2010 is Amended as stated herewith.*

“ [अगर इस वर्ग अनुमोदन के संलग्न टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूर की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

*Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।  
*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.*

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1612/1R  
दिनांक/Date : **23 August 2016**  
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

*Ram  
19/08/2016.*

*to  
19 Aug 2016*

पी जयपाल / P.JAYAPAL  
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)